15/10/25 आज पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप०।
आये वकील पक्षकार की बहस अंतिम सुनी
गई। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये
जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
हो फैसला सुनाए हो नम्बर से कम हो
बाद तकमील जिला रेकर्ड भण्डार हो।
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या 39/24 | रजु दिनांक 18/03/24 | निर्णय दिनांक 15/10/25

//उनवान//

1. धर्मसिंह पुत्र श्री जग्गल
   गंगाराम पुत्र श्री जग्गल जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री शिवजी
2. बनवारी पुत्र श्री सवाई जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री धर्मेन्द्र यादव वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांक :– 15/10/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 156/0.01है0, गैरमुमकिन बोरिंग एवं खसरा नम्बर 157/0.28 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खानदानी कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है, आराजी वादीगण को विरासत से प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण को अपने आला मौरूसी चिरंजीलाल से प्राप्त हुई है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण आज भी काबिज है वादीगण से पूर्व वादीगण के पूर्वज काबिज आ रहे हैं।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही प्रतिवादीगण के पूर्वजो का कोई संबंध व सरोकार रहा है।
5. यह है कि आराजी मुतनाजा एवं ग्राम नंगली औझा के अन्य आराजीयात में भी गलत इन्द्राजात बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी में प्रतिवादीगण के पूर्वज शिवजी पुत्र लक्खू, जग्गल रपक्ष जगराज, सवाई पुत्र

सहायक कलक्टर (का0द्वे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

तोताराम के नाम गलत रूप से शिकमी व बकाश्त के रूप में बेजा तौर पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून इन्द्राजात किये गये है जो हर जमाबन्दी में पुर्नावृति होती आ रही है। प्रतिवादीगण के पूर्वज शिवजी पुत्र लक्खू, जग्गल रपक्ष जगराम, सवाई पुत्र तोताराम भी काफी समय पूर्व फौत हो चुके है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी या इनके पूर्वजों का कभी कब्जा नहीं रहा है ना ही आज प्रतिवादी का आराजी से कोई संबंध है। आराजी मुतनाजा वादीगण की खनदानी आराजी है जिस पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आज भी मौके पर वादीगण का ही वास्तविक कब्जा है। एवं आराजी मुतनाजा वादीगण को अपने पूर्वजो से विरासतन प्राप्त हुई है। मौके पर कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं है।

6. यह है कि आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम प्रतिवादी अमरसिंह के पिता शिवजी पुत्र लक्खू, प्रतिवादी बनवारी के पिता सवाई पुत्र तोताराम व वादीगण के पिता जग्गल रपक्ष जगराम का नाम बेजा तौर पर रहने से वादीगण के अधिकार प्रभावित हो रहे है आराजी को विक्रय करने व ऋण लेने आदि में बाधा आ रही है आराजी मुतनाजा के गैर काबिज गैरवास्ता व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज रहने से वादीगण के अधिकार प्रभावित होते है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

7. यह है कि आराजी वादीगण की खानदानी एवं कब्जे काश्त की है राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी रूप से वादीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी अमरसिंह एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम शिकमी आसामी व बकाश्त आसामी के रू॰ में इन्द्राज किये गये है जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है क्यांकि आराजी पर बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज वाले व्यक्ति आराजी पर कभी काश्त नहीं की है वादीगण व वादीगण के पूर्वज काश्तकार व्यक्ति थे वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कृषि कार्य के सिवाय अन्य कोई व्यवसाय, व्यापार नहीं था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को इस प्रकार दुरूस्त किया जावे कि राजस्व जमाबंदी हाल में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राजात "अ0वि0वि0 जग्गल रपक्ष जगराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

8. यह है कि दिनांक 01.02.2024 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है।

9. यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है सुनने योग्य है।

10. यह है कि दिनांक 01.02.2024 को बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

11. यह है कि दावा हाजा पर दो रूपये कोर्ट फीस चस्पा है।

12. अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार फरमाई जावे।

(अ) यह करार दिया जावे कि प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्0 एवं खसरा नम्बर 157 रकबा 0.28 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के हाल जमाबंदी में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राजात "अ0वि0व0 जग्गल रपक्ष जगराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5" को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा।

(ब) अन्य दीगर दादरसी बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्ड़ावर (खैरथल–तिजारा)

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की तरफ से ईकबाल जवाब पेश किया गया एवं जवाब ईकबाल में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/8596 दिनांक 09.10.2025 में आराजी खसरा नम्बर 156, 157 पर वादीगण धर्मसिंह पुत्र जग्गल एवं गंगाराम पुत्र जग्गल के द्वारा काश्त कार्य किया जा रहा है

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ-पत्र पीडब्लयू-1 धर्मसिंह पुत्र जग्गल, पीडब्लयू-2 फतेहसिंह पुत्र ख्यालीराम , पीडब्लयू-3 मुकेश पुत्र दुलीचन्द साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071-74 आराजी खसरा नम्बर 156, 157 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी एवं प्रतिवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया आराजी वादीगण की खानदानी एवं कब्जे काश्त की है राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी रूप से वादीगण की खातेदारी की आराजी पर प्रतिवादी अमरसिंह एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम शिकमी आसामी व बकाश्त आसामी के रूप में इन्द्राज किये गये है जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है क्योंकि आराजी पर बकाश्त व शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज वाले व्यक्ति आराजी पर कभी काश्त नहीं की है वादीगण व वादीगण के पूर्वज काश्तकार व्यक्ति थे वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कृषि कार्य के सिवाय अन्य कोई व्यवसाय, व्यापार नहीं था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को इस प्रकार दुरूस्त किया जावे कि राजस्व जमाबंदी हाल में वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राजात "अ0वि0वि0 जग्गल रपक्ष जगराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 को कलमजन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक0 एवं 157 रकबा 0.28 है0 में **वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राजात "अ0विव. जग्गल रपक्ष जगराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5"** को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर (...)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
39 / 24	18 / 03 / 24	15 / 10 / 25

/ / उनवान / /

1. धर्मसिंह पुत्र श्री जग्गल
2. गंगाराम पुत्र श्री जग्गल जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री शिवजी
2. बनवारी पुत्र श्री सवाई जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री धर्मेन्द्र यादव वकील प्रतिवादीगण।

–:पर्चा डिक्री:–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक0 एवं 157 रकबा 0.28 है0 में **वादीगण के नाम के साथ साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राजात "अ0विव. जग्गल रपक्ष जगराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 अमरसिंह पुत्र शिवजी जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5 शिवजी पुत्र लक्खू जाट साकिन देह शिकमी साल 8.5"** को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)